संख्या- 6/1173 /22-4-14-48(65)/11

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 15सितम्बर,2014

विषय- जिला कारागार, मेरठ की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण के पुनरीक्षित आगणन पर प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 19643/नम-3/140, दिनांक- 17 जुलाई, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-626/22-4-2011-48(65)/11, दिनांक 28-02-11 एवं शासनादेश संख्या-954/22-4-14-48(65)/11, दिनांक 11-9-14 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मेरठ की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 5,82,22,000/-(रूपया पॉच करोड़ बयासी लाख बाइस हजार मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त् कार्य हेतु उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11-9-14 द्वारा रू0 8,22,40,000/- की पुनरीक्षित लागत अनुमोदित की गयी है।

2- अत- सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, मेरठ की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 8,22,40,000/- (रूपया आठ करोड बाइस लाख चालीस हजार मात्र) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल अवशेष रू0 2,40,18,000/-(रूपया दो करोड चालीस लाख अटठारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य 31-3-2015 पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) मार्ग निर्माण की लम्बाई/ चौडाई में परिवर्तन, प्रस्तावित डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन किये बिना नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यों की तकनीकी निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

(3) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) अनुमोदित कार्य की तकनीकी स्वीकृति निर्गत् करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अथवा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेग।

(6) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(7) शासनोदश दिनांक 28-2-11 की शेष शर्तो यथावत रहेंगी।

3- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

4- प्रायोजना के पुनरीक्षित आगणन से सम्बन्धित मूल्यांकन टिप्पणी संलग्न है।

5- इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्वय-80-सामान्य -051-निर्माण-03- कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्वार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/ मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-27-7-2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 6/1173(1)/22-4-14-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक,, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, मेरठ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञां से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in